राजस्थान सरकार

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 149/2006 विविध

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा — बनाम —

1. श्री शिवचरण दास पुत्र लालसिंह राजपूत निवासी निम्बाहेड़ा जाटान (मृतक) कायम मुकाम –
   1/1 श्री हरिदास पिता शिवचरण दास,
   1/2 श्रीमती तेजकवंर पुत्री शिवचरण दास
   1/3 श्रीमती शकुंतला कवंर पुत्री शिवचरण दास
   1/4 श्रीमती धर्मकवंर पुत्री शिवचरण दास
   निवासी निम्बाहेड़ा जाटान, भीलवाड़ा।

– प्रार्थी — – विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 15(2) राज0 कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973

उपस्थित – राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
श्री गोपाल अजमेरा, अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 17 .02.2026

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 15(2) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 विरूद्ध विपक्षी के प्रेषित किया। न्यायालय अपर जिला कलक्टर भीलवाडा के प्रकरण सं0 27/2000 प्रार्थना पत्र (सिलिंग) पूर्व विचाराधीन होकर दिनांक 16–10–06 को निर्णित हुआ। इस निर्णयानुसार 45 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अप्रार्थी रखने का अधिकारी है, को छोडते हुए शेष 695 स्टेण्डर्ड एकड भूमि सिलींग सीमा से अधिशेष घोषित की गयी साथ ही विपक्षी को निर्देशित किया गया कि वे अपना विकल्प पत्र निर्णय दिनांक 16–10–06 से 15 दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत करें।

उक्त निर्णय के अनुक्रम में विपक्षी की ओर से दिनांक 31–10–2006 को विकल्प पत्र प्रस्तुत किया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

ग्राम निम्बाहेडा खसरा नम्बर 2220 से 2229, 2725/2220, 2231 से 2233, 1262, 1263, 1297 से 1310, 1312 से 1316, 2294 से 2317 एवं 1202

ग्राम भैरूखेड़ा खसरा नम्बर 614, 615, 844/615, 861/615

17.2.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उपरोक्त विकल्प पत्र के प्रत्युतर में तहसीलदार करेडा द्वारा भूमिधारी की हैसियत से दिनांक 18.10.2019 को निम्नानुसार विकल्प प्रस्तुत किया गया –

1. ग्राम करेडा में रिपोर्ट पटवारी एवं सलग्न रेकार्ड के अनुसार ना.सं. 703 नि. दि. 23.08.97 से 14.15 बीघा तथा जरिये ना.सं. 2860 नि.दि. 23.08.97 से 5.06 बीघा कुल 20.01 बीघा भूमि अधिग्रहण कर ली गई थी उक्त अधिग्रहण भूमि में से 18 बीघा भूमि पुनः आवंटन कर दी गई तथा शेष भूमि 2.01 बीधा जो बिलानाम खाते में दर्ज है।

2. ग्राम रामपुरिया में रकबा 11.01 बीघा अधिग्रहण करनें के आदेश हुए जिसकी पालना में रिपोर्ट पटवारी एवं संलग्न रिकोर्ड अनुसार ना.सं. 457 नि. दि. 23.8.97 से तत्कालिन खातेदार के खाते से 11.12 बीघा बिलानाम दर्ज की गई जो आज भी बिलानाम खाते में दर्ज रिकार्ड है, ग्राम रामपुरिया में जागीरदार के नाम पर खाता सं.376 में 2.11 बीघा एवं खाता सं. 377 में 7.12 बीघा कुल 10.03 बीघा के अलावा कोई भूमि दर्ज रिकोर्ड नही है। जागीरदार के नाम यह भूमि पुर्व में 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि में से है।

3. ग्राम देवथडी में 153.17 बीघा भूमि अधिग्रहण के आदेश के मुकाबले ना.सं. 160 नि. दि. 23.8.97 से रकबा 160.12 बीघा अधिग्रहण हो चुकी है। जिसमें रकबा 6.15 बीघा के अन्तर भूप्रबन्ध से सेवन से हुआ है। उक्त 160.12 बीघा भूमि पुन आंटन हो चुकी है जिसमें खातेदारों के नाम पर 159.02 एंव बिलानाम खाते में 1.10 बीघा दर्ज रिकोर्ड है तथा जागीरदार के नाम पर कोई भूमि वर्तमान मे दर्ज नही है।

4. ग्राम भैरूखेडा (वर्तमान में भैरुखेडा से बने नवीन ग्राम रतनपुरा) पटवार मण्डल निम्बाहेडा जाटान में 11.08 बीघा को अधिग्रहण के आदेश हुए जो नामान्तरण संख्या 630 दिनाक 23.08.1997 से अधिग्रहण की जा चुकी है यह भूमि पुन आवंटन हो चुकी है।

5. ग्राम निम्बाहेडा जाटान से 116.19 बीघा भूमि अधिग्रहण के आदेश हुए थे, जिसकी पालना में ना.स. 917 से दिनांक 23.08.97 से कुल 130.12 बीघा भूमि अधिग्रहण कर ली गई जो अमान्य विक्रय था। उक्त अधिग्रहीत भूमि 130.12 बीघा में से पुन आंवटन होकर खातेदारों के नाम 128.12 बीघा एवं बिलानाम खाते में 2.00 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड है।

तहसीलदार करेडा रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में जागीरदार विपक्षी का सरप्लस भूमि 740 स्टे. एकड में से 30 स्टेण्डर्ड एकड जगीरदार के छोडने के बाद शेष 710 स्टेण्डर्ड एकड भूमि में से 651 स्टेण्डर्ड एकड भूमि पूर्व में अधिग्रहण हो चुकी है। अवशेष 59 स्टेण्डर्ड एकड भूमि जो अमान्य विक्रय था वो भी उक्तानुसार अधिग्रहण हो चुकी है एवं अभी कोई भूमि अधिग्रहण किया जाना शेष नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व उभय पक्षों के तथ्यो पर गौर किया गया। विपक्षीगण के नाम आज दिनांक में किसी भी ग्राम में भूमि नहीं होने तथा विकल्प पत्र दिनांक 31.10.2006 में वर्णित भूमि अन्य खातेदारों को आवंटित हो चुकी है। भूमिधारी रिपोर्ट अनुसार वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण विपक्षीगण द्वारा दिनांक 31.10.2006 को प्रस्तुत विकल्प पत्र विचार किया जाना संभव नहीं है।

17.2.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उपरोक्त विवेचन अनुसार विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

विपक्षीगण द्वारा दिनांक 31.10.2006 को प्रस्तुत विकल्प पत्र पर विचार किया जाना संभव नहीं है। अतः विपक्षीगण द्वारा दिनांक 31.10.2006 को प्रस्तुत विकल्प पत्र अस्वीकार किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार करेडा को प्रेषित की जावे।

निणर्य आज दिनांक 17.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

17.2.26
(रणजीत सिंह)
अति0 जिला कलक्टर
भीलवाड़ा